जारी 07/11/17

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
2 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001
फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2712014, 2713724

सख्याः 2678 /XXV–12(Part-6)/2008 देहरादून : दिनांक 07 दिसम्बर, 2017

सेवा में,

श्री दीपक गुप्ता
पुत्र श्री राधेश्याम गुप्ता
निवासी 23–अजीत प्रसाद मार्ग
19 अखाड़ा मोहल्ला, देहरादून।

विषयः– <u>सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत चाही गयी सूचना के संबंध में।</u>

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके सूचना के अधिकार अधिनियम से सम्बन्धित आवेदन पत्र दिनांक 02–12–2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आपके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत चाही गयी सूचना संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैः–

1. बिन्दु संख्या–01 एवं 02 संबंधी सूचना कार्यालय आदेश संख्या– 864 दिनांक 30 अगस्त, 2016 एवं कार्यालय आदेश संख्या– 1957 दिनांक 09 जून, 2017 की प्रति संलग्न प्रेषित है।
2. बिन्दु संख्या–03 नही
3. बिन्दु संख्या–04 कार्यालय आदेश संख्या– 1957 दिनांक 09 जून, 2017 की प्रति संलग्न प्रेषित है।

यदि आप उपरोक्त उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं से सन्तुष्ट न हों तो विभागीय अपीलीय अधिकारी के सम्मुख निम्न पते पर अपील प्रस्तुत कर सकते हैः–

विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
04–सुभाष रोड़ सचिवालय परिसर, देहरादून।

कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

<u>संलग्न–यथोपरि।</u>

भवदीय,

B.S.Rawat
(बी0एस0रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

<u>पृ0संख्या 2678/**XXV**–12(**Part-6**)/2008, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि लोक सूचना अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–नवसृजित, उत्तराखण्ड शासन को आवेदन पत्र की प्रति इस आशय से प्रेषित कि आवेदक द्वारा चाही गयी वांछित सूचना बिन्दु सं0 05 आपके कार्यालय के संबंधित है, जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 6 (3) के अन्तर्गत अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु हस्तान्तरित किया जा रहा है।

B.S.Rawat
(बी0एस0रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

karki

उत्तराखण्ड सरकार
निर्वाचन विभाग,
संख्या 864 /XXV–10/2016
दिनांकः देहरादून : 30 अगस्त, 2016

कार्यालय आदेश

विधान सभा के आगामी सामान्य निर्वाचन–2017 को दृष्टिगत रखते हुए निर्वाचन सम्बन्धी समयबद्ध एवं महत्वपूर्ण कार्यो के सम्पादनार्थ श्रीमती वंदना थलेड़ी, प्रवक्ता, नागरिक शास्त्र, राजकीय बालिका इण्टर कालेज, द्वाराहाट, अल्मोड़ा को मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय उत्तराखण्ड देहरादून में प्रतिनियुक्ति नियमावली में निहित प्राविधानों के अनुसरण में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 01 (एक) वर्ष के लिये विशेष कार्याधिकारी (SVEEP) के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर तैनात किया जाता है। प्रतिनियुक्ति के पश्चात कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से श्रीमती थलेड़ी 03 माह (तीन माह) तक परिवीक्षा अवधि पर समझी जायेंगी और परिवीक्षा अवधि में कार्यकुशलता एवं कार्यदक्षता सिद्ध होने पर ही उनकी प्रतिनियुक्ति पर अग्रेत्तर विचार किया जायेगा। निर्धारित अवधि के पश्चात प्रतिनियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी। उक्त प्रतिनियुक्ति कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है। श्रीमती थलेड़ी को उनके पैतृक विभाग में देय वेतन–भत्तों के अनुरूप जारी एलपीसी के अनुसार ही वेतन–भत्ते आदि देय होंगे।

श्रीमती वन्दना थलेड़ी के वेतन भत्तों आदि का भुगतान प्रतिनियुक्ति नियमावली के अनुसार मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय उत्तराखण्ड से किया जायेगा। प्रतिनियुक्ति सम्बन्धी शेष शर्ते पृथक से नियत की जायेगी। यह आदेश उत्तराखण्ड शासन माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–नवसृजित के कार्यालय ज्ञाप संख्या–616/XXIV–नवसृजित/2016–10–(01)/2015 दिनांक 10 अगस्त, 2016 में प्राप्त उनकी अनापत्ति के पश्चात जारी किया जा रहा है । यह आदेश दिनांक 01 सितम्बर, 2016 से प्रभावी होगा।

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

पृ0संख्या / XXV–10/2016, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबेराय बिल्डिग, माजरा, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, लक्ष्मी रोड़ डालनवाला, देहरादून।
3. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, लक्ष्मी रोड़ डालनवाला देहरादून।
4. सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
5. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा देहरादून।
6. मुख्य शिक्षा अधिकारी, अल्मोड़ा।
7. प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका इण्टर कालेज, द्वाराहाट, अल्मोड़ा।
8. श्रीमती वंदना थलेड़ी, प्रवक्ता, नागरिक शास्त्र, राजकीय बालिका इण्टर कालेज, द्वाराहाट, अल्मोड़ा को उक्तानुसार अनुपालनार्थ।
9. अनुभाग अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय।
10. कार्यालय प्रति।

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001
फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2712014, 2713724

संख्या 1957 / XXV–109(P-6) / 2017 देहरादून : दिनांक 09 जून, 2017

कार्यालय–ज्ञाप

इस कार्यालय के आदेश संख्या 864 / XXV-10/2016, दिनांक 30,अगस्त,2016 के द्वारा श्रीमती वंदना थलेड़ी,प्रवक्ता नगारिक शास्त्र,रा.इ.का.द्वाराहाट,अल्मोडा को विशेष कार्याधिकारी SVEEP के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर एक वर्ष की अवधि के लिए तैनात किया गया था ।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा SVEEP के तहत राष्ट्रीय स्तर पर संचालित Interactive School Engagement कार्यकम को उत्तराखण्ड राज्य की विभिन्न शिक्षण संस्थाओ में सुचारू एवं सुव्यवस्थित रूप से संचालन हेतु श्रीमती थलेड़ी की उक्त आदेश के क्रम में प्रतिनियुक्ति अवधि दिनांक 02 सितम्बर, 2017 से 2 वर्ष के लिए विस्तारित किया जाता है ।

यह भी स्पष्ट किया जात है कि उक्त प्रतिनियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय समाप्त की जा सकती है। यह आदेश उत्तराखण्ड शासन माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–नवसृजित के कार्यालय ज्ञाप संख्या–616/XXV-नवसृजित/2016/10/(01/2015 दिनांक 10 अगस्त, 2016 में प्राप्त उनकी अनापत्ति के पश्चात जारी किया जा रहा है।

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

पृ.सं. 1957 / xxv-10/2016/ तददिनांकित
प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक काग्रवाही हेतु प्रेषित ।

1. महालेखाकार,उत्तराखण्ड,ओबराय बिल्डिंग,माजरा,देहरादून ।
2. निदेशक,कोषागार एवं वित्त सेवाऐं,लक्ष्मी रोड,डालनवाला,देहरादून ।
3. वित्त अधिकारी,साइबर ट्रेजरी,लक्ष्मी रोड,डालनवाला,देहरादून ।
4. सचिव,विद्यालयी शिक्षा ,उत्तराखण्ड शासन,देहरादून ।
5. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा,देहरादून ।
6. मुख्य शिक्षा अधिकारी,अल्मोड़ा ।
7. प्रधानाचार्य राजकीय इन्टर कालेज,द्वाराहाट,अल्मोड़ा ।
8. श्रीमती वंदना थलेड़ी ,विशेष कार्याधिकारी,कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, ,उत्तराखण्ड ।
9. सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी / आहरण एवं वितरण अधिकारी,कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी,उत्तराखण्ड ।
10. कार्यालय प्रति ।

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

कार्यालय सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी
पत्र प्राप्ति का दिनांक– 5/12/2017
रजिस्टर क्रमांक– 63 पत्रावली संख्या–

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी / मुख्य निर्वाचन अधिकारी

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय

सचिवालय, उत्तराखंड देहरादून।

विषयः– सूचना का अधिकार के तहत सूचना मांगे जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत निम्न सूचनाएं उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(1) आपके अधीनस्थ राज्य निर्वाचन विभाग में कार्यरत श्रीमती वंदना थलेड़ी (अध्यापिका) किस वर्ष प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हुयीं। उसका विवरण उपलब्ध कराने की कृपा करें।

(2) श्रीमती वन्दना थलेड़ी को किस आदेश व नियम व योग्यता के तहत निर्वाचन विभाग में प्रतिनियुक्ति पर रखा गया है।प्रतिनियुक्ति से पूर्व वे किस जिले में कार्यरत थी? उसका विवरण देने की कृपा करें।

(3) आपके विभाग में किसी अन्य शिक्षक को भी क्या प्रतिनियुक्ति पर बुलाया गया है?

(4) प्रतिनियुक्ति की निर्धारित अवधि कितने वर्ष की है और श्रीमती वन्दना थलेड़ी की किस पद पर नियुक्ति दी गयी है। विवरण उपलब्ध कराने की कृपा करें।

(5) शिक्षा विभाग के प्रतिनियुक्ति सम्बंधी शासनादेश उक्त शिक्षिका की प्रतिनियुक्ति पर लागू होते हैं अथवा नहीं ?

महोदय, उपरोक्त सूचनाएं अतिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें। प्रार्थी द्वारा इसके लिए आवेदन शुल्क 10 रू का पोस्टल आर्डर संख्या 39 F 343586 दिनांक 29.11.2017 सलंग्न है।

दिनांकः–2.12.2017

आवेदक का नाम–दीपक गुप्ता

पिता का नाम – श्री राधेश्याम गुप्ता

पता –23 अजीत प्रसाद मार्ग/

19 अखाड़ा मोहल्ला, देहरादून।

संलग्नकः–10 रू का पोस्टल आर्डर संख्या 39F 343586 दिनांक 29.11.201

ARO-I (Karki)

कृपया उपलब्ध सूचनायें उपलब्ध करायें।

06-12-2017
P.I.O.

Rcd
20/12/17

उत्तराखण्ड शासन
शिक्षा अनुभाग–नवसृजित
संख्या–सू0अ0 ——/XXIV–नवसृजित/17–18(64)/2017
देहरादूनः दिनांक 09 दिसम्बर, 2017

श्री दीपक गुप्ता
पुत्र श्री राधेश्याम गुप्ता,
निवासी 23–अजीत प्रसाद मार्ग,
19 अखाड़ा मोहल्ला, देहरादून।

लोक सूचना अधिकारी/अनुभाग अधिकारी, कार्यालय, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर, देहरादून का पत्र संख्या–2678/XXV–12 (Part–6)/2008, दिनांक 07.12.2017 द्वारा आपके सूचना के अनुरोध पत्र दिनांक 02.12.2017 के बिन्दु संख्या–5 को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत अंतरित किया गया है, का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– उक्त से संबंधित सूचना का विवरण निम्नवत् हैः–

बिन्दु	संबंधित सूचना
बिन्दु संख्या–5	यद्यापि कि आपके द्वारा उक्त बिन्दु पर चाही गयी सूचना प्रश्नावाचक रूप में है, तथापि उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि प्रतिनियुक्ति संबंधी शासनादेश शिक्षा विभाग द्वारा निर्गत नहीं किये जाते हैं।

यदि आप उपरोक्त सूचना से संतुष्ट नहीं हों तो, आप प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी, जिनका नाम एवं पता निम्नवत् हैं, के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत कर सकते हैंः–

श्री कवीन्द्र सिंह,
सयुक्त सचिव,
स्टेट बैंक भवन, प्रथमतल,
उत्तराखण्ड सचिवालय
4, सुभाष रोड, देहरादून।

(बिपिन चन्द्र जोशी)
लो0सू0अधि0/अनुभाग अधिकारी

संख्या–सू0अ0 139 / XXIV–नवसृजित/17–18(64)/2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि– लोक सूचना अधिकारी/ अनुभाग अधिकारी, कार्यालय, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर, देहरादून को उनके उपरोक्त वर्णित पत्र दिनांक 07.12.2017 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

9.12.17
(बिपिन चन्द्र जोशी)
लो0सू0अधि0/अनुभाग अधिकारी

AROI(K)
सम्बन्धित पत्रावली के साथ रखे।
20-12-17
P.1.0